न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 06/2021

अनवान : –

1. जगजीत पाण्डर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– अपीलांट

बनाम्

1.. सरपंच ग्राम पंचायत जसाना तहसील नोहर।
2. शोभना पुत्री बृजलाल पत्नी देवेन्द्र बैनिवाल जाति जाट निवासी मोची वाली तहसील नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा।
3. सिलोचना पुत्री बृजलाल पत्नी खेमाराम जाति जाट निवासी बणी तहसील राणिया जिला सिरसा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर

– असल रेस्पोडेंटस

6. इन्द्रसैन पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. धनपत सिंह पाण्डर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

–तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश रोही मौजा 21 जेएसएन इन्तकांल संख्या 850 दिनांक 20.07.2021 सरपंच ग्राम पंचायत जसाना

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अपीलांट
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 स0 2, 3

निर्णय **दिनांक:** 4/4/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता स0 11/11 के कुल खसरे 30 की कुल तादादी 6.3250है0 भूमि व खाता स0 94/91 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.5560है0 भूमि अपीलांट की माता कमला देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर की स्वयं अर्जित सम्पति थी जो सदामत से अपीलांट की माता के कब्जा काश्त में चली आ रही थी। अपीलांट की माता कमला देवी पत्नी बृजलाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 09.01.2018 को स्वैच्छा से वादग्रस्त कृषि भूमि की वसीयत अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंट स0 6 व 7 तीनों के पक्ष में बहिब कर दी थी। वसीयत सुनवाई का प्रार्थना पत्र तहसीलदार राजस्व नोहर में जैरकार है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट अपने व तरतीबी रेस्पोडेंट स0 6 व 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:36:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अपीलांट की माता के देहान्त के बाद रेस्पोडेंट न0 2 व 3 ने सरपंच ग्राम पंचायत जसाना तहसील नोहर व राजस्व कार्मिको से मिलकर वादग्रस्त भूमि का इंतकाल विरासतन दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेंट न0 2 व 3 को वसीयत के बारे में अच्छी तरह ज्ञान था। रेस्पोडेंट न0 2 व 3 ने तथ्यों को छुपाकर इन्तकाल स0 850 दिनांक 20.07.2021 को दर्ज करवाया जो कतई गलत है व निरस्त योग्य है।

अपीलांट को इंतकाल स0 850 दिनांक 20.07.2021 का ज्ञान कभी नही हुआ नही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंट स0 6 ता 7 को नही सुना गया ना ही इन्तकाल दर्ज करने की सूचना अपीलांट को दी गई। अपीलांट को इंतकाल का ज्ञान 09.08.2021 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश कर रहा है जो की जानकारी से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 850 दिनांक 20.07.2021 बाबत् कृषि भूमि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर सरपंच ग्राम पंचायत जसाना तहसील नोहर खारिज फरमाया जाकर कमला देवी पत्नी बृजलाल की वसीयत दिनांक 0.01.2021 के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट स0 2 ता 3 की और से श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0 स0 1 को नोटिस सम्यक रूप से तामिल होने के उपरान्त अनुपस्थित होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अधिवक्ता अपीलांट ने रिपोर्ट सरपंच, लिखित प्रार्थना पत्र आपत्ति आदि व अधिवक्ता रेस्पो0 ने नकल जमाबंदी रोही मौजा बहक कमला देवी व नकल पर्चा खतौनी रोही मौजा जसाना आदि दस्तावेज पेश कियें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की इन्होनें विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया है जबकि उक्त विवादित अराजी की हमारी माता ने हमारे पक्ष में अपने जीवनकाल में ही वसीयत कर दी थी जिसका इनको भंलीभांती ज्ञान था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार स्वीकार की जावें।

अधिवंक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि पैतृक भूमि थी। पैतृक सम्पति होने के कारण हम सब का बहिब हिस्सा है। विरासतन इंतकाल सही दर्ज करवाया गया है। तथा अपीलांट व रेस्पो0 के हिस्सा अनुसार इंतकाल दर्ज हुआ है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें। अधिवक्ता रेस्पो0 ने माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2021(1) पेज न0 146 पेश किया जिसका अध्ययन कर हमने मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा इंतकाल स0 850 दिनांक 20.07.2021 सरपंच ग्राम पंचायत जसाना के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील 11.07.2021 को पेश की गई है जो कि अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:56:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने रोही मौज 21 जेएसएन के इन्तकाल न0 850 दिनांक 20.07.2021 को निरस्त कर वसीयत दिनांक 09.01.2018 के मुताबिक वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम दर्ज करने हेतु अपील पेश की है। अपीलांट ने वसीयत की चित्रप्रति प्रस्तुत की है, साथ में वसीयतकर्ता कमला देवी के मृत्युप्रमाण पत्र की चित्रप्रति भी पेश की है। अपीलांट ने तहसीलदार कार्यालय नोहर में उक्त वसीयत दिनांक 09.01.2018 की सुनवाई की आमसूचना के नोटिस की चित्रप्रति पेश की है। अपीलांट द्वारा नामान्तरण स0 850 दिनांक 20.07.2021 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है तथा सरपंच ग्राम पंचायत में दर्ज शिकायत की चित्रप्रति पेश की गई। हमारे द्वारा अपील में पेश नामान्तरण स0 850 दिनांक 20.07.2021, तहसील कार्यालय नोहर के आमसूचना नोटिस व वसीयत की प्रति व सरपंच ग्राम पंचायत में दर्ज शिकायत का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 अभिधारियों का उत्तराधिकार में उल्लेख है कि कोई अभिधारी अगर निर्वसीयत मर जाये तो उसकी जोत में उसका हित उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था न्यायगत होगा। इससे स्पष्ट है कि अगर कोई अभिधारी निर्वसीयत मरता है तो ही उसका विरासतन नामान्तरण होगा। अगर किसी मृत अभिधारी की वसीयत पेश होती है तो सर्वप्रथम तहसीलदार को वसीयत की नियमानुसार सुनवाई करते हुए वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत विरासतन नामान्तरण पर भी वारिसों की सुनवाई का कोई अंकन नही है। जब वादग्रस्त भूमि की वसीयत पेश हो गई हो या संज्ञान में आयी हो तो वसीयत प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना विरासतन नामान्तरण दर्ज करने को हम न्यायोचित नही समझते। उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत जसाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 850 दिनांक 20.07.2021 ग्राम 21 जेएसएन तहसील नोहर को अपास्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन रकबे की वसीयत को उभयपक्ष की सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:36:02 IST
Reason: SelfAttested